पत्रांक–01/स्था0 (विविध)–13/2017 ...1888...... न0वि0एवं.आ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राम सेवक प्रसाद
सरकार के अवर सचिव।

स्मार–III
अतिमहत्वपूर्ण

सेवा में,

नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम।
कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद्।

पटना, दिनांक– 3/4/19

विषयः– **कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक–1694 दिनांक–19.03.19 एवं पत्रांक–1819 दिनांक–29.03.2019 की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के विभिन्न उपबंधों के अधीन आपके कार्यालय में कार्यरत संविदा/दैनिक वेतनभोगी/आऊटसोर्स कर्मियों को नियमानुसार कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ दिया जाना है।

इस क्रम में निर्धारित विहित प्रपत्र में MIS के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश संसूचित है। उक्त निदेश के आलोक में मात्र 20 नगर निगम/नगर परिषदों से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। शेष 40 नगर निगम/नगर परिषदों से प्रतिवेदन अप्राप्त है, जो खेदजनक है।

विदित हो कि संविदा/दैनिक वेतनभोगी/आऊटसोर्स कर्मियों को भविष्य निधि का लाभ दिए जाने के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर जनहित याचिका CWJC No. 17372/2017 से उद्भूत अवमाननावाद सं0–2915/2018 (शंभूशरण सिंह बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य) में सुनवाई दिनांक–03.04.19 को निर्धारित है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि आपके कार्यालय में (प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में) वर्तमान में कार्यरत सभी संविदा/दैनिक वेतनभोगी कर्मियों का 100% EPF Enrollment सुनिश्चित करते हुए सभी पंजीकृत कर्मियों का अंशदान नियोक्त अंशदान सहित EPFO कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही संलग्न विहित प्रपत्र में वांछित सूचना MIS के माध्यम से विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
02.4.19
सरकार के अवर सचिव।

महत्वपूर्ण

संचिका संख्या–4 / एफ1–01 / 2017 श्र0सं0......1347

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह
प्रधान सचिव।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, गृह विभाग,शिक्षा विभाग।
पुलिस महानिदेशक,
पुलिस महानिदेशक (गृह रक्षा वाहिनी)
महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव,
प्रधान सचिव / सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, वित्त विभाग, कृषि विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, ऊर्जा विभाग
नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग
प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि०,पटना।
प्रबंध निदेशक, उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि०, पटना।
प्रबंध निदेशक, पावर ट्रान्समिशन कंपनी लि०।
निदेशक, आई०सी०डी०एस०।
कार्यकारी निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति।
निदेशक, एड्स कंट्रोल सोसाईटी।

पटना, दिनांक– 18.3.19

विषयः– **कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुपालन हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–18.03.2019 को आयोजित बैठक में दिये गये निर्देश के संबंध में।**

महाशय,

उपयुक्त विषय के संबंध में दिनांक–18.03.2019 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा दिये गये निर्देश का स्मरण करना चाहेंगे। उक्त बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा निर्देशित किया गया कि ऐसे सभी कर्मी जो कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों से आच्छादित होंगे, उन्हें निश्चित रूप से दिनांक–26.03.2019 तक संबंधित अधिनियम से आच्छादित किया जाय। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दायर करने हेतु प्रतिवेदन श्रम संसाधन विभाग को हाथों–हाथ दिनांक–27.03.2019 तक उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है। प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु प्रपत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अनुरोध है कि मुख्य सचिव, बिहार द्वारा दिनांक–18.03.2019 की बैठक में दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाय, साथ ही माननीय उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दायर करने हेतु प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में हाथों–हाथ दिनांक–27.03.2019 तक श्रम संसाधन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में अगली बैठक दिनांक–27.03.2019 को अपराह्न 3.30 बजे, मुख्य सभागार, पुराना सचिवालय में आयोजित की गयी है। कृपया उक्त बैठक में भाग लेने की कृपा करें। विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन बैठक में भी उपलब्ध कराया जा सकता है।

अनुलग्नक–यथोक्त

19 MAR 2019
प्राप्ति तिथि
बिहार, पटना

20 MAR 2019
3369

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत बिहार सरकार के प्रतिष्ठानों में संविदा/दैनिक वेतन/आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का अनुपालन दिनांक **26/03/2019 की अद्यतन स्थिती**

विभाग/अनुभाग एवं उनका भविष्य निधि खाता संख्या	कुल अधिकारी/कर्मचारियों की संख्या एवं भविष्य निधि खाता संख्या			कर्मचारी भविष्य निधि योजना/पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों की संख्या		

टिप्पणी : इस विवरणी के साथ अधिकारियों/कर्मचारियो का नाम, पिता का नाम, स्थापना में योगदान की तिथि, वेतन, एवं उनका आधार संख्या भी आवश्यक है जो की संलग्न प्रारूप (अनुलग्नक –क) में भेजने का सुनिश्चत करें।

प्रधान सचिव /सचिव/विभागाध्यक्ष का हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

(172)

अनुलग्नक –क

विभाग/अनुभाग का नाम–

क्र० सं०	सदस्य का नाम	पिता का नाम	विभाग/अनुभाग में योगदान की तिथि	आधार संख्या	वेतन
1					
2					
3					
4					
5					

प्रधान सचिव /सचिव/विभागाध्यक्ष का हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner